संख्या- 28/1230/बयालिस-2016-29(निर्माण)/2009

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2016**

विषय- जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 260/नि0 कासगंज स्टे0पत्रा0/2016-17, दिनांक 13 जून, 2016 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 909.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्ष- 2016-17 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4)- प्रायोजनान्तर्गत 49961.09 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 110.41 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण प्रभाग द्वारा इस मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष फिलहाल एकमुश्त रू0 10.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है ताकि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो। अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात देय होगी।

(5)- प्रायोजना प्रस्ताव में लेबलिंग, वाहय विद्युतीकरण, हार्टीकल्चर आपरेशन, स्ट्रार्म वाटर ड्रेन, ट्यूबवेल, बोरिंग व पम्प हाउस सबस्टेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की लागत एकमुश्त/डी0एस0आर0 के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इन कार्यमदों का विस्तृत आगणन प्रायोजना प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यमदों का विस्तृत

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आगणन सम्बन्धित जनपद के अनुसूची दर पर गठित किया जाय तथा इस गठित आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(6)- प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(7)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर को अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8)- प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेशी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(11)- परियोजना की लगात में टाईम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायगा।

(13)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा।

(14)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायगा।

(15)- प्रश्नगत स्वीकृत बजट एवं परिव्यय के सीमान्तर्गत ही निर्गत की जायगी।

(16)- प्रशासनिक विभाग द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-96-जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 927/दस-2016, दिनांक : 14 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28/1230(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, कासगंज।
6- क्रीड़ाधिकारी, कासगंज।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग- 4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।